

का.आ. 1825(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सर्वोदय आरोग्य निधि, हाइवे, राधनपुर (बनासकाँठा), गुजरात-385340 द्वारा राधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान स्थित सर्वोदय नेत्र अस्पताल/ नेत्र कैंम्पो के लिए नेत्र ऑपरेशन, उपस्करों/उपकरणों की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 869 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 531 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय आरोग्य निधि, हाइवे, राधनपुर (बनासकाँठा), गुजरात-385340 द्वारा राधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान स्थित सर्वोदय नेत्र अस्पताल / नेत्र कैंम्पो के लिए नेत्र ऑपरेशन, उपस्करों/उपकरणों की चलाने की परियोजना या स्कीम को 67.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।